(114) 42

उत्तराखण्ड शासन
आवास विभाग
संख्या —/V–2014–21(आ0)/2014
देहरादूनः दिनांक 01 अक्टूबर,2014

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 813/V–2012–26(न0वि0)/01 दिनांक 06 दिसम्बर,2012 को अतिक्रमित करते हुये क्रमशः उत्तराखण्ड (उ0प्र0निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2006 की धारा–15(क)(2) एवं उत्तराखण्ड (उ0प्र0 विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरणअधिनियम 1986) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा–38(3) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत वाद/अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु पदेन अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखड शासन को अधिकृत किया जाता है।

2 पदेन अपर सचिव, आवास विभाग उत्तराखड शासन को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य सरकार में आवास विभाग के समक्ष उपरोक्त व्यवस्थानुसार प्रस्तुत विभिन्न विधिक प्रकरणों में सुनवाई के पश्चात यथा आवश्यकता स्थगनादेश एवं अंतिम आदेश पारित करेंगे।

भवदीय,

(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या 445/V–2014–21(आ0)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2 अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल/गंगोत्री विकास प्राधिकरण/दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
3 आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
4 समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, उत्तराखण्ड।
5 श्री वी0 षणमुगम, अपर सचिव, आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
6 सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
7 वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून।
8 निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की जिला हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे उत्तराखण्ड के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 25 प्रतियां आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
9 निदेशक, एन0आई0सी, उत्तराखण्ड शासन परिसर, देहरादून।
10 गार्ड फाइल।

भवदीय,

07/10/2014

(डी0एस0गर्ब्याल)
सचिव।